राजस्थान सरकार
पंचम राज्य वित्त आयोग
प्रथम तल, बी–ब्लाक, वित्त भवन, जन पथ, जयपुर– 302005
फोन नं॰– 0141–2742881, 2742833, फैक्स नं॰– 2742875
Website: www.sfc.rajasthan.gov.in
E-mail Address: sfc-5@rajasthan.gov.in

प॰5(29) 5वां रा.वि.आ. / 2015 जयपुर, दिनांक 09 नवम्बर 2015

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी
नगर परिषद / नगरपालिका————————
जिला————————, राजस्थान

विषयः– राज्य वित्त आयोग की प्रश्नावली एवं अन्य आवश्यक सूचनायें भिजवाने बाबत।

महोदय,

संभवतः आपको विदित होगा कि संविधान के अनुच्छेद 243 एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत इस आयोग का गठन महामहिम राज्यपाल के आदेश दिनांक 29.05.2015 द्वारा किया गया है। आयोग को समस्त शहरी स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति का आकलन कर इन्हें राज्य सरकार से आवश्यक आर्थिक सहायता स्वीकृत कराने तथा स्वयं के संसाधन बढ़ाने हेतु जरूरी कदम उठाने के संबंध में सिफारिशें करनी है। आयोग की सिफारिशें वर्ष 2015 से 2020 तक के लिये लागू रहेगी।

आयोग ने इस हेतु एक प्रश्नावली तैयार की है तथा नगर परिषद / नगरपालिका की गत पाँच वर्षो 2010–2015 के वास्तविक आय व्यय एवं आगामी पाँच वर्षो 2015–20 की मदवार आवश्यकता एवं उपलब्धता तथा संभावित अन्तर की गणना हेतु प्रपत्र तैयार किये हैं जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

आपसे आग्रह है कि आपकी नगर परिषद / नगरपालिका के लिये प्रेषित की जा रही प्रश्नावली एवं प्रपत्रो में वांछित सूचनायें भिजवाने की व्यवस्था करावें। आयोग का कार्यकाल सीमित अवधि के लिये है तथा आयोग को शीघ्र अपना प्रतिवेदन राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करना है। अतः इस कार्य को प्राथमिकता देने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नः– यथोपरि

(एस.सी. देराश्री)
सदस्य सचिव